

समक्ष-एन. सी. जैन, माननीय न्यायमूर्ति

अनिल कुमार और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता।

1991 का सिविल संशोधन क्रमांक 1938।

4 सितंबर 1991.

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984-धारा 18 और 28-ए-बाजार मूल्य का पुनर्निर्धारण-याचिकाकर्ता अन्य दावेदारों को दी गई दर पर भूमि का मूल्यांकन करने की मांग कर रहे हैं-अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों के समान,उसी दर पर भूमि का मूल्यांकन कराने के हकदार हैं-न्यायालय का फैसला-व्याख्या-इसका मतलब यह है कि पुरस्कार जो जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर अंतिम रूप पराप्त कर चुका।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता अपनी भूमि का मूल्यांकन उसी दर पर कराने के हकदार हैं जो इस अदालत में आने वाले अन्य दावेदारों को दी गई थी। मेरे विचार में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए की सही व्याख्या यह होगी कि अन्य मालिक जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत कोई निर्देश नहीं मांगा है, पुनः निर्धारण पर अन्य भूमि स्वामियों को जो दरें मिली हैं उसके हकदार होंगे वे चाहे जिला न्यायाधीश के आदेश से या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से प्राप्त हुई हो। धारा 28-ए में शब्दों 'न्यायालय के फैसले' का मतलब जिला न्यायाधीश के फैसले से नहीं है और न ही हो सकता है। 'न्यायालय का फैसला'- वो फैसला है जिसे अंतिमता हासिल हो वे चाहे जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पड़ाव पर हासिल की गई हो।

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, पी.डब्ल्यू. (सिंचाई शाखा), अम्बाला शहर के आदेश में संशोधन के लिए धारा 115 सीपीसी के तहत दिनांक 13 फरवरी, 1991 की याचिका भूमि का मुआवजा श्री राज कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश करनाल क दिनांक 5 जनवरी, 1981, के आदेश अनुसार 27,300 प्रति एकड़ पुनः निर्धारित करने हेतु, और दावेदारों/आवेदकों को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के 15 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति और बेदखली की तारीख से 6 रुपये प्रति वर्ष की दर से राशि की प्राप्ति तक ब्याज का अधिकार दिया।

आवेदक/दावेदार वास्तविक प्राप्ति की तिथि तक ब्याज के हकदार होंगे।

दावा:- भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 28-ए और धारा 18 के तहत बाजार मूल्य के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन।

पुनरीक्षण का दावा : मुआवजे में वृद्धि।

याचिकाकर्ता के वकील अरुण जैन।

उत्तरदाता की ओर से जगदेव शर्मा, अति. ए.जी. हरियाणा।

निर्णय

मेरा यह निर्णय 1991 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1938 से 1961 तक का निपटारा कर देगा, क्योंकि कानून का प्रश्न सभी मामलों में समान है।

(2) हरियाणा सरकार ने, अपनी अधिसूचना संख्या 8097/1एल/द्वितीय/एसवाईएल दिनांक 23 जून, 1976, जो कि हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1976 में प्रकाशित हुई थी, के माध्यम से, एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए गांव किरमच तहसील और जिला करनाल बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने, अपने दिनांक 23 नवंबर, 1976 के फैसले के तहत, 8720 प्रति एकड़ रुपये की दर से मुआवजे का आकलन किया। कुछ भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (बाद में अधिनियम के रूप में

संदर्भित) की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल ने 5 जनवरी, 1981 के अपने फैसले के तहत अधिग्रहीत भूमि के बाजार मूल्य का आकलन रुपये 27,300 प्रति एकड़ किया। जिन भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की, उन्होंने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के फैसले के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, इस अदालत में नियमित प्रथम अपील दायर की। इस न्यायालय ने 23 जुलाई 1986 को नियमित प्रथम अपील संख्या 700 सन् 1981 का निर्णय करते हुए अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य 31,000 प्रति एकड़ रुपये की दर से निर्धारित किया।

(3) इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर, याचिकाकर्ताओं, जिनकी भूमि भी उसी अधिसूचना के आधार पर अधिग्रहित की गई थी, ने अपनी अर्जित भूमि के बाजार मूल्य के पुनः निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 28-ए के तहत विभिन्न आवेदन इस आधार पर दायर किए कि वे भी उसी मुआवजे के अनुदान के हकदार हैं क्योंकि उनकी भूमि भी उसी अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 31,600 प्रति एकड़ रुपये की दर से मुआवजे का दावा किया जो इस अदालत द्वारा प्रदान किया गया था। मामला कलेक्टर द्वारा उठाया गया था उसने अपने आदेश के तहत, जो मेरे समक्ष चुनौती के अधीन है, अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य रुपये 27,300 प्रति एकड़ की दर से निर्धारित किया जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के आदेश से असंतुष्ट होकर उपरोक्त पुनरीक्षण-याचिकाएँ दायर की हैं।

(4) इन मामलों में निर्धारण के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता उसी दर पर मुआवजे के अनुदान के हकदार हैं, जिसकी अनुमति विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल ने दी थी, या वे उन दरों पर बाजार मूल्य के हकदार हैं जो इस न्यायालय द्वारा अनुमत की गई थी।

(5) उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अपनी भूमि का मूल्यांकन उसी दर पर कराने के हकदार हैं जो इस अदालत में आने वाले अन्य दावेदारों को दिया गया था। मेरे विचार में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा -28-ए की सही व्याख्या यह होगी कि अन्य मालिक जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत कोई संदर्भ नहीं मांगा है, वे पुनः निर्धारण पर इसके हकदार होंगे। वही दरें लागू की गईं जो अन्य भूमि मालिकों को या तो जिला न्यायाधीश की अदालत से या उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से मिली हैं। धारा 28-ए में "न्यायालय के फैसले" शब्दों के प्रयोग का अर्थ जिला न्यायाधीश की अदालत का फैसला नहीं है और न ही हो सकता है। 'न्यायालय का फैसला' - वो फैसला है जिसे अंतिमता हासिल हो वे चाहे जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पड़ाव पर हासिल की गई हो। जिला न्यायाधीश का फैसला उच्च न्यायालय के फैसले में विलीन हो जाता है। यदि कलेक्टर के विचार को कायम रखें तो यह एक विषम स्थिति बनाएगा। किसी विशेष मामले में, जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई राशि को उच्च न्यायालय द्वारा कम किया जा सकता है। क्या ऐसी स्थिति में दावेदारों द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि वे - जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए मुआवजे के हकदार हैं, जो कि अधिक है, न कि उस मुआवजे के जो इस न्यायालय द्वारा दिया गया। उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक ही होगा।

(6) ऊपर दर्ज कारणों से, पुनरीक्षण याचिकाओं की स्वीकृति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को रुपये 31,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का हकदार माना जाता है। वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(2) और 28 के संशोधित प्रावधानों के वैधानिक लाभ पाने के भी हकदार होंगे, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 23 जुलाई, 1986 को तय किए गए 1981 की नियमित प्रथम अपील संख्या 700 में किया गया था। पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा